हपु
सेवा सुरक्षा सहयोग

कार्यालय पुलिस उपायुक्त एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट गोहाना

ACS Home 4/5/23

दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश

हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार डी.जे. बजाने का समय रात्री 10.00 बजे तक का है। प्रायः देखने में आया है कि आम लोगों द्वारा इन आदेशों की अवहेलना करते हुए रात्री 10.00 बजे के बाद भी डी.जे. बजाया जाता है। इसी के साथ - साथ यह भी आम तौर पर देखने में आया है कि लोग अपने ट्रैक्टरों पर बडे बडे स्पीकर लगाकर तेज आवाज में गाने बजाते हुए चलते हैं। जिससे छोटे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व पशुओं को काफी परेशानी होती है और झगडा होने की काफी संभावना बनी रहती है जिससे गोहाना क्षेत्र, सोनीपत में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना बनी रहती है।

अतः मैं भारती डबास, ह.पु.से. पुलिस उपायुक्त एवं कार्यकारी मजिस्ट्रैट, गोहाना दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोहाना क्षेत्र, सोनीपत में कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात्री 10.00 बजे के बाद डी.जे. ना बजाने व दिन में डी.जे. व ट्रैक्टरों आदि पर स्पीकर लगाकर तेज ध्वनि में गाने बजाने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाती हूं।

आपातकालीन स्थिति व समय की कमी व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए मैं यह आदेश सम्बन्धित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित करती हूं जो जन सामान्य से सम्बन्धित है।

इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेवारी जिला विकाश एंव पंचायत अधिकारी, गोहाना/ तहसीलदार/ उप तहसीलदार/ खण्ड विकाश एंव पंचायत अधिकारी/ ग्राम पंचायत/ स्थानिय निकाय की होगी। इसके अतिरिक्त सभी सहायक पुलिस आयुक्त व थाना प्रबन्धक गोहाना क्षेत्र भी इस मामले में सम्बन्धित नगर परिषद/ पालिका/ ग्राम पंचायतों से सम्पर्क बनाए रखेगें व पालना सुनिश्चित करवाने के जिम्मेवार होगें। इन आदेशों का प्रचार सहायक सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, गोहाना, तहसीलदार, उप तहसीलदार, नगर परिषद, खण्ड विकाश एंव पंचायत अधिकारी तथा पंचायत अधिकारी/ सरपंचों द्वारा किया जाएगा।

इन आदेशों को जिला गोहाना में ढोल बजाकर, सहायक सूचना एंव जनसम्पर्क अधिकारी गोहाना द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला, उपमण्डल, तहसील, कचेहरी, सार्वजनिक स्थानों व थानों पर चस्पा करवाकर प्रचार किया जावे।

इन आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का पात्र/ भागी होगा।

यह आदेश आज दिनांक ......1|5|23........से अगले एक माह तक मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर सहित जारी किया गया है।

(भारती डबास, भा.पु.से.)
पुलिस उपायुक्त
एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गोहाना, सोनीपत।

क्रमांक- 985-1040/DCP/GHN दिनांक- 01-05-2023

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, चण्डीगढ।
3. पुलिस महानिदेशक हरियाणा, चण्डीगढ।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
5. पुलिस आयुक्त, सोनीपत।
6. जिला एंव सत्र न्यायधीश, सोनीपत।
7. उपायुक्त सोनीपत।
8. सभी पुलिस उपायुक्त, सोनीपत।
9. सभी सहायक पुलिस आयुक्त, सोनीपत।
10. सभी थाना प्रबन्धक, आयुक्तालय सोनीपत।
11. प्रभारी CIA-1,CIA-2, CIA Gohana, AVT Staff, ANC Staff.
12. सभी चौकी प्रभारी, आयुक्तालय सोनीपत।
13. सहायक सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी, गोहाना। (आदेश के प्रचार हेतु)
14. प्रवाचक, पुलिस उपायुक्त, गोहाना